

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत

फोन: 0484-2333610-615, वेबसाइट: www.indianspices.com

टीडीएस से संबंधित कार्यों सहित जीएसटी और आयकर अधिनियमों के अनुसार मासिक और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सलाहकार के चयन हेतु निविदा सूचना।

बोली संदर्भ संख्या: लेखा/निविदा/ई23527

जारी करने की तिथि: 23 दिसंबर 2025

जारी करने वाला प्राधिकरण:

सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,

उप निदेशक(लेखा)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत

फोन: 0484-2333610-615, वेबसाइट: www.indianspices.com

अनुक्रमणिका

क्र.सं	विवरण	पेज सं
1	परिचय	3
2	कार्य का दायरा	3-4
3	बोलीदाताओं को निर्देश	4-5
4	अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें	5-7
5	बोलि प्रदान करना	7
6	क्युसीबीएस मूल्यांकन के लिए तकनीकी बोली अंकन योजना	8
7	महत्वपूर्ण तिथियाँ	9
8	अनुलग्नक-I तकनीकी बोली दस्तावेजों की जांचबिन्दु	10
9	अनुलग्नक-II वित्तीय मूल्यांकन प्रारूप	11-12
10	अनुलग्नक - III बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वचनपत्र	13

बोलियां आमंत्रित करने की सूचना

1. बोलीदाताओं के लिए सामान्य जानकारी और निर्देश

1.1.0 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्पाइसेज बोर्ड इंडिया, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 149 के अनुसार, तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ वाली दो-बोली प्रणाली में जीईएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करता है। इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत और प्रबंधन लेखाकार फर्म को कर सलाहकार के रूप में चुना जाएगा। यह चयन टीडीएस से संबंधित कार्यों सहित जीएसटी और आयकर अधिनियमों के अनुसार मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाएगा। यह चयन संलग्न कार्य के दायरे और संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दो और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

1.1.1 पात्र और इच्छुक बोलीदाता जो GeM बोली/आरए में उल्लिखित विनिर्देशों को पूरा कर सकते हैं और निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत हैं, उन्हें निविदा पूछताछ दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

1.1.2 निविदा दस्तावेज़ को वेबसाइट <https://www.indianspices.com/tenders.html> और <https://gem.goyan> से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

1.1.3 कार्य का विवरण और दायरा:

क)	जीएसटी से संबंधित कार्य:
1)	मसाला बोर्ड के मुख्यालय और अन्य राज्यों में स्थित इकाई कार्यालयों में जीएसटी से संबंधित सभी कार्य। परामर्श सेवा में निम्नलिखित शामिल होंगे:
2)	जीएसटी विनियमन के अनुसार जीएसटी व्यवस्था के तहत ई-इनवॉयस, वार्षिक रिटर्न और जीएसटी टीडीएस रिटर्न सहित सभी आवश्यक मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना और मासिक/वार्षिक रिटर्न का समाधान करना।

3)	रिटर्न दाखिल करने के लिए डेटा मसाला बोर्ड के लेखा मॉड्यूल से प्राप्त किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो परामर्शदाता को जीएसटी रिटर्न प्रारूप के अनुसार डेटा की व्यवस्था करनी होगी।
4)	आउटपुट क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट की पात्रता और प्रेषण के लिए शुद्ध कर देयता निर्धारित करने संबंधी आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करना सलाहकार की ज़िम्मेदारी होगी। रिटर्न दाखिल करने से पहले, आंकड़ों से संबंधित किसी भी संदेह को मसाला बोर्ड के लेखा विभाग की सहायता से दूर किया जाएगा।
5)	सलाहकार, अनुबंध अवधि के दौरान कर अधिकारियों/आंतरिक लेखा परीक्षा/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने वाले कर लेखा परीक्षा/अन्य लेखा परीक्षा के लिए जीएसटी से संबंधित आवश्यक जानकारी/विवरण प्रदान करके कार्यालय कर्मचारियों की सहायता करेगा। यदि बाद में अनुबंध अवधि से संबंधित जीएसटी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो वह भी प्रदान किया जाएगा।
6)	आवश्यकतानुसार वस्तु एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी)/न्यायपालिका के कार्यालय में उपस्थित होना तथा मसाला बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण भारत में जीएसटी से संबंधित सभी मुद्राओं पर प्राप्त नोटिसों का प्रारूप तैयार करना तथा सेवित नोटिस के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करना।
7)	जीएसटी परिषद द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों और जीएसटी से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करना।
8)	जीएसटी और जीएसटी टीडीएस के अनुसरण में प्रमाण पत्र, ई-चालान, यदि कोई हो, जारी करने की सुविधा प्रदान करना।
9)	परामर्शदाता को भुगतान के लिए जीएसटी चालान अंतिम कार्य दिवस से कम से कम 2 दिन पहले और संबंधित जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले कार्य घंटों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
10)	सलाहकार, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार जीएसटी से संबंधित किसी भी अन्य मामले में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
ख)	आयकर टीडीएस संबंधी कार्य
1)	मासिक, त्रैमासिक और ई-टीडीएस रिटर्न अर्थात् फॉर्म 24Q, 260, 27Q, 27EQ और टीसीएस दाखिल करना, साथ ही लेखा मॉड्यूल से डेटा निकालकर क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सुधार/परिहार करना और स्पाइसेस बोर्ड का वार्षिक आयकर रिटर्न, आईटीआर 7 दाखिल करना।

2)	आयकर विभाग द्वारा रिटर्न से संबंधित नोटिस/प्रश्नों का उत्तर देना तथा आवश्यकतानुसार सुधार करना।
3)	त्रैमासिक फॉर्म 16, 16ए और 27डी की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियां समय पर उपलब्ध कराएं।
4)	वार्षिक फॉर्म 16 (भाग ए और भाग बी) और फॉर्म 12बीए की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियां प्रदान करें
5)	भाग बी और फॉर्म 12बीए का डेटा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

बोलीदाताओं के लिए निर्देश

1. सामान्य निबंध और शर्तें

2.1.0 बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निबंध और शर्तों के सभी खंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए

2.1.1 बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं कि उनकी बोलियां और सभी सहायक दस्तावेज समय पर और निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तुत किए जाएं।

2.1.2 यदि बोली खोलने की तिथि किसी घोषित अवकाश के दिन पड़ती है, तो बोली खोलने का कार्य अगले कार्य दिवस पर उसी समय या क्रेता द्वारा अधिसूचित समय पर किया जाएगा।

2.1.3 क्रेता द्वारा बोली खोलने की तिथि में किसी भी प्रकार का विस्तार बोलीदाताओं को विधिवत सूचित किया जाएगा।

2.1.4 बोली की वैधता GeM पोर्टल पर दी गई आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

2.1.5 बोलियां केवल GeM पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जानी चाहिए, किसी अन्य माध्यम से भेजी गई बोलियां अमान्य मानी जाएंगी।

2.1.6 सभी बोली दस्तावेज पूर्ण रूप से भरे जाने चाहिए, विधिवत हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा निर्दिष्ट समय सीमा से पहले GeM पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

2.1.7 स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाता GeM पोर्टल पर प्रतिनिधित्व कॉलम के माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।

2.1.8 निबंध व शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और सुपाठ्य होने चाहिए।

2.1.9 मसाला बोर्ड किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि

- i. काली सूची में डाली गई या वर्जित पार्टी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 151 में उल्लिखित बोली प्रस्तुत करती है, या
- ii. कोई भौतिक गलत बयानी की गई है या पता चला है, या
- iii. बोलीदाता प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मांगी गई पूरक जानकारी निर्दिष्ट समय के भीतर प्रदान नहीं करता है
- iv. कार्य आदेश दिए जाने के बाद सेवा प्रदाता अनुबंध और पुरस्कार पत्र के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, या
- v. तथापि, किसी निविदा को अस्वीकार करने या किसी संभावित बोलीदाता को निविदा दस्तावेज जारी न करने के कारणों का खुलासा उस स्थिति में किया जाएगा, जब बोलीदाता द्वारा पूछताछ की जाती है।

2.2.0 तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा बोली को अनदेखा किया जा सकता है

2.2.1 केवल तकनीकी बोलियां ही निर्दिष्ट तिथि और समय पर खोली जाएंगी

2.2.2 वित्तीय बोलियां केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां तकनीकी मूल्यांकन के बाद अनुरूप पाई जाएंगी

2.2.3 तकनीकी मूल्यांकन के बाद वित्तीय बोली खोलने की तिथि GeM पोर्टल के माध्यम से सूचित की जाएगी।

2.2.4 बोली दस्तावेज़ को GeM/CPP पोर्टल और आधिकारिक स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइट (www.indianspices.com/tenders.html) से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

2.2.5 बोलीदाताओं को इस बोली से संबंधित जीईएम/सीपीपी पोर्टलों और आधिकारिक मसाला बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र पर नज़र रखनी चाहिए।

2.2.6 साइट का दौरा: संभावित बोलीदाताओं को साइट पर जाने और उप निदेशक लेखा, स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) सुगंधा भ्यान, एन.एच. बाय पास, पलाउवट्टोम पी.ओ., कोचीन-682025, केरल, भारत के साथ कार्य के दायरे पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इससे पहले कि वे अपना उद्धरण प्रस्तुत करें।

2.2.7. निविदा की पूर्णता: अपूर्ण निविदाएँ या अनुलग्नक विवरण का अभाव अयोग्यता का कारण बनेगा। हस्ताक्षरकर्ता को फर्म में अपने अधिकार और भूमिका स्पष्ट करनी होगी।

2.2.8 निविदा अधिकार: स्पाइसेस बोर्ड किसी भी निविदा को बिना कारण बताए, पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. अतिरिक्त निबंधन और शर्तें

3.1	बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे GeM बोली में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार बोली दस्तावेज प्रस्तुत करें, साथ ही परिशिष्ट I- बोली के लिए जांच सूची में निर्धारित प्रारूप में अपना प्रोफाइल भी प्रस्तुत करें।
3.2	निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट समय और तिथि पर इस प्रयोजन के लिए विधिवत गठित सदस्यों की समिति द्वारा बोलियां ऑनलाइन खोली जाएंगी।
3.3	सभी बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु. 30,000/- (केवल तीस हजार रुपये) की बयाना राशि (ईएमडी)/बोली सुरक्षा जमा करनी होगी, जो "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड" के पक्ष में जारी की जाएगी और बोली समाप्ति तिथि/समय से पहले पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेजी जाएगी "स्पाइसेस बोर्ड, सुगंधा भवन, एनएच बाईपास, पलारीवट्टम, एर्नाकुलम, कोच्ची 682025, केरल"। एमएसएमई के तहत पंजीकृत बोलीदाताओं को ईएमडी से छूट के लिए वैध दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।
	डिमांड ड्राफ्ट वाले लिफाफे पर "कर सलाहकारों के चयन हेतु अग्रिम राशि" लिखा होना चाहिए। बोर्ड अग्रिम राशि की देरी से प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3.4	भारतीय स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए डेटा और जानकारी का खुलासा तीसरे पक्ष को नहीं किया जाएगा
3.5	सचिव मसाला बोर्ड के पास इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सचिव मसाला बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
3.6	बोली लगाने वाली फर्मों का एर्नाकुलम और उसके आसपास पूर्णतः कार्यात्मक कार्यालय होना चाहिए, जिसमें कम से कम तीन पंजीकृत फेलो सदस्य (एफसीए/एफसीएमए) भागीदार और कम से कम 10 सहायक कर्मचारी (आर्टिकल शिप प्रशिक्षुओं सहित) हों। उन्हें नियमित रूप से कोच्चि स्थित बोर्ड मुख्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। जीएसटी/आयकर विभाग द्वारा जारी किसी भी नोटिस आदि के मामले में, उन्हें आवश्यकतानुसार कॉल के आधार पर उपलब्ध

	<p>रहना चाहिए ताकि शंकाओं का समाधान किया जा सके और उन नोटिसों के उत्तर तैयार किए जा सकें।</p> <p>बोली लगाने वाली फर्म के पास कार्य के लिए पर्याप्त अनुभवी कर्मचारी होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट/2 लागत एवं प्रबंधन लेखाकार शामिल होंगे।</p> <p>(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान/लागत लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा संबंधित कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का स्व-प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाना है)</p> <p>वे सीए/सीएमए फर्म जिनमें आईसीएआई/आईसीएमएआई द्वारा सहकर्मी समीक्षा की जाती है, आईसीएआई/आईसीएमएआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।</p>
3.7	<p>बोली लगाने वाली फर्म के पास जीएसटी, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टीडीएस और आयकर संबंधी कार्यों में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>(बोलीदाताओं को अनुभव के प्रमाण के लिए GeM के माध्यम से पिछले 3 वर्षों के दावे के प्रमाण के साथ ऐसे सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों/समझौतों/कार्य आदेशों की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।) जिन फर्मों के पास समान क्षेत्र में पूर्व अनुभव नहीं है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।</p>
3.8	<p>बोली लगाने वाली फर्म को माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>(स्व-प्रमाणित जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा)</p>
3.9	<p>बोली लगाने वाली फर्म की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक आय 15 लाख रुपये होनी चाहिए।</p> <p>(वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए लेखापरीक्षित लाभ-हानी और बैलेंस शीट की बैलेंस शीट/आईटी रिटर्न की स्व-सत्यापित प्रतियां बोलीदाता द्वारा जेम पोर्टल में प्रस्तुत की जानी चाहिए)</p>
3.10	<p>कोई भी प्रति प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा तथा सशर्त/विलंब से प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किए जा सकेंगे।</p>
3.11	<p>अपूर्ण निविदाएं या अनुलग्नक विवरण गायब होने पर निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।</p>

3.12	बोली लगाने वाली फर्म किसी भी तरीके से संगठन को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसी कार्रवाई अयोग्यता मानी जाएगी, तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3.13	निविदा में "दो बोली प्रणाली" है, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। वित्तीय बोली केवल उन फर्मों के लिए खोली जाएगी जो तकनीकी बोली के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं। करों सहित मूल्य को वित्तीय बोली में शामिल किया जाएगा।
3.14	सफल बोलीदाता को बोली राशि का 5% सुरक्षा जमा (प्रदर्शन सुरक्षा) के रूप में सचिव, मसाला बोर्ड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा और यह राशि अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ही वापस की जाएगी। बोलीदाता को सौंपे गए कार्यों को पूरा न करने/विलंब से पूरा करने में किसी भी प्रकार की चूक होने पर सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
3.15	फर्म को अपना बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक माह का भुगतान जीएसटी चालान के साथ मसाला बोर्ड की संतुष्टि के लिए विधिवत दायर विवरण प्रस्तुत करने पर अगले महीने की 15 तारीख से पहले किया जाएगा।
3.16	भुगतान जारी करते समय लागू टीडीएस काट लिया जाएगा।
3.17	यदि परामर्शदाता की ओर से जीएसटी, टीडीएस, आयकर आदि से संबंधित चूक के कारण कोई जुर्माना, ब्याज या अन्य अतिरिक्त दावे उत्पन्न होते हैं, तो उसकी भरपाई फर्म से की जाएगी।
3.18	अनुबंध की अवधि कार्य सौंपे जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे समान शर्तों पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा तथा यह अवधि बोलीदाता को सौंपे गए कार्य के संतोषजनक निष्पादन पर निर्भर होगी।
3.19	अनुबंध को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित या सौंपा नहीं जा सकता।
3.20	यदि किसी भी समय यह महसूस किया जाता है कि परामर्शदाता की सेवा संतोषजनक नहीं है, तो स्पाइसेस बोर्ड एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, तथा इस संबंध में बोर्ड द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति परामर्शदाता द्वारा की जानी चाहिए।
3.21	बोलीदाताओं को परिशिष्ट संख्या 3 के अनुसार बोली दस्तावेजों के साथ एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. बोलि प्रदान करना :

चयन गुणवत्ता लागत विधि आधारित मूल्यांकन (क्युसीबीएस) के आधार पर किया जाएगा

4.1	बोलीदाता को अपना वित्तीय उद्धरण परिशिष्ट ॥ मैं दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा
-----	--

4.2	बोलियों का मूल्यांकन 'गुणवत्ता' और 'उद्धृत मूल्य', दोनों के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (QCBS) पद्धति। गुणवत्ता का भारांक 70 (सतर) और उद्धृत मूल्य का भारांक 30 (तीस) है।
4.3	किसी भी बोली को गुणवत्ता मानदंड में न्यूनतम 70 (सतर) अंक प्राप्त करने होंगे। गुणवत्ता मानदंड में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त न करने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाली बोलियों को 'योग्य बोलियाँ' कहा जाएगा और वे बोली के वित्तीय मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी। वित्तीय बोली का प्रारूप कृपया परिशिष्ट ॥ में देखें।
4.4	तकनीकी बोली को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 70 (सतर) अंक होंगे।
4.5	इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी विवाद केवल एर्णाकुलम स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

4.6 ओसीबीएस मूल्यांकन के लिए तकनीकी बोली मार्किंग योजना

क्र.सं	विवरण	अधिकतम अंक	न्यूनतम कट ऑफ अंक
1	आईसीएआई/आईसीएमएआई के साथ पंजीकरण के बाद से वर्षों की संख्या(दिनांक 31.3.2025) <ul style="list-style-type: none"> • 5 वर्ष तक: 10 अंक • 5 से 10 वर्ष : 15 अंक • 10 वर्ष से अधिक: 20 अंक 	20	10
2	केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जीएसटी/टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में कम से कम तीन(03) वर्ष का अनुभव रखने वाली फर्म, <ul style="list-style-type: none"> • अधिकतम 3 संगठन: 10 अंक • 3 से अधिक 5 संगठनों के लिए: 12 अंक • 5 से अधिक संगठन: 15 अंक 	15	10
3	औसत वार्षिक आय (पिछले 3 वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24) <ul style="list-style-type: none"> • 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक: 15 अंक • 30 लाख रुपये से अधिक से 40 लाख रुपये तक: 18 अंक • 40 लाख रुपये से अधिक: 20 अंक 	20	15

4	औसत वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपये और उससे अधिक	10	10
5	चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म जिनमें आईसीएआई/आईसीएमएआई द्वारा सहकर्मी समीक्षा की जाती है	5	5
6	एर्णाकुलम, केरल और उसके आसपास स्थानीय कार्यालय वाली सीए/सीएमए फर्म	10	10
7	प्रमुख व्यक्ति/भागीदार <ul style="list-style-type: none"> • कम से कम 3 भागीदार और साथी सदस्यता :10 अंक • 5 तक फेलो सदस्यता वाले 3 से अधिक साझेदार: 15 अंक • 5 से अधिक साथी सदस्यों के साथ साझेदारी: 20 अंक 	20	10
	कुल अंक	100	70

मूल्यांकन हेतु तकनीकी बोली में न्यूनतम अर्हक अंक 70 है

5. महत्वपूर्ण तिथियां -

बोली प्रारंभ तिथि: 23/12/2025 को शाम 5:00 बजे

बोली समाप्ति तिथि: 06/01/2026 को शाम 5:00 बजे

बोली खोलने की तिथि: 06/01/2026 को शाम 5:30 बजे

(अनुलग्नक - I)

तकनीकी निविदा में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची की जांचबिन्दु

- 1) आवेदक का नाम :
- 2) निगमन की तिथि :
- 3) मुख्यालय का पता :
- 4) स्थानीय पता :
- 5) संपर्क अधिकारी(यों) का संचार विवरण :
 - 1) नाम :
 - 2) फोन नंबर :
 - 3) मोबाइल नंबर/फाक्य नंबर :
 - 4) ई-मेल :
- 6) व्यवसाय प्रारंभ करने का वर्ष :
- 7) जीएसटीआईएन पंजीकरण संख्या :
- 8) आईसीएआई/आईसीएमएआई द्वारा आयोजित अंतिम पीयर रिव्यु की तिथि :
- 9) पिछली 3 वर्षों के लेखापरीक्षित लाभ-हानी विवरण, बैलेंस शीट और रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 10) प्रमुख साझेदारों/कर्मचारियों का विवरण और उनकी विशेषज्ञता का संक्षिप्त विवरण :
- 11) आईसीएआई/आईसीएमएआई के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- 12) पूर्व कार्य अनुभव का विवरण :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख:

स्थान:

अनुलग्नक - II

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी वित्तीय बोली के साथ नीचे उल्लिखित प्रारूप को पीडीएफ फॉर्मेट में जेम पोर्टल पर अपलोड करें।

वित्तीय बोली प्रस्तुत करने का प्रारूप

क. जीएसटी संबंधी कार्यों के लिए कोटेशन(21 पंजीकरणों के लिए)

विवरण	प्रति पंजीकरण के लिए मासिक शुल्क (आईएनआर में जीएसटी सहित)	प्रति पंजीकरण वार्षिक शुल्क (आईएनआर में जीएसटी सहित)	21 पंजीकरण के लिए कुल शुल्क (आईएनआर में जीएसटी सहित)
मासिक जीएसटी फिलिंग (इसमें जीएसटीआर 1, 2ए का मिलान और 3बी शामिल हैं)			
मासिक ई - चालान (प्रति पंजीकरण औसतन 4000 इनवॉइस अपलोड किए जाते हैं)			
पंजीकरण के अनुसारमासिक जीएसटी आईडी दाखिल करना - (प्रति पंजीकरण औसतन 20 लाइन आइटम अपलोड करने होते हैं)			
प्रति पंजीकरण जीएसटी वार्षिक रिटर्न	एनए (केवल वार्षिक)		
कुल(क) जीएसटी सहित			

ख. आईटी संबंधी कार्यों के लिए बोली

विवरण	वार्षिक शुल्क(जीएसटी सहित आईएनआर में)
कर्मचारियों और पेशनभोगियों के लिए तिमाही आईडीएस रिटर्न दाखिल करना(24वीं तिमाही, लगभग 750	

व्यक्ति)	
कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों द्वारा तिमाही आईडीएस रिटर्न दाखिल करना- 26वीं तिमाही	
कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 और अन्य लोगों के लिए फॉर्म 16ए भरना	
आईटीआर 7 दाखिल करना	
कुल(ख) जीएसटी सहित	

कुल वार्षिक भाव

विवरण	राशि (जीएसटी सहित आईएनआर में)
जीएसटी संबंधी कार्यों के लिए कोटेशन(21 पंजीकरणों के लिए) - कुल क	
आईटी संबंधी कार्यों के लिए कोटेशन - कुल ख	
कुल योग (क+ख)	
(राशि शब्दों में)	

वित्तीय मूल्यांकन के लिए क+ख के कुल कोटेशन मूल्य पर विचार किया जाएगा।

बोलीदाता(ओं) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वचनपत्र

वचनः

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि:

- i. हमें भारतीय स्पाइसेस बोर्ड सहित किसी भी प्राधिकरण द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों या किसी अन्य कानून, नियम या विनियमन के किसी भी प्रावधान के तहत प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं डाला गया है।
- ii. हमारे पास मुद्रण एवं प्रकाशन में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव है, तथा हमने पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 10 लाख मूल्य की समान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। (समर्थक दस्तावेज संलग्न हैं)।
- iii. हम निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुसार और सभी लागू कानूनों के अनुपालन में हैंडबुक की छपाई और आपूर्ति करने के लिए सक्षम और पात्र हैं।
- iv. हमारे विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्ववृत्त या लंबित आपराधिक कार्यवाही नहीं है।
- v. हम स्वीकार करते हैं कि यदि हम वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि हमें अनुबंध प्रदान किया जाता है और हम बोली अनुरोध दस्तावेज़ में परिभाषित समय सीमा से पहले समझौते पर हस्ताक्षर करने या प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने में विफल रहते हैं, तो हमें इस निविदा सूचना के प्रकाशन की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए स्पाइसेस बोर्ड के साथ अनुबंधों के लिए बोलियां जमा करने के लिए पात्र होने से निलंबित कर दिया जाएगा।
- vi. यदि चयन किया जाता है, तो हम कार्य आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सौंपे गए कार्य को शुरू करने के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि करते हैं।
- vii. यदि चयनित हुआ तो हम निविदा दस्तावेज में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देशों, वितरण अनुसूची और अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार हैंडबुक्स की समय पर छपाई, आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करेंगे।

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। हम समझते हैं कि यदि किसी भी स्तर पर उपरोक्त कथन में कोई विचलन या गलत बयानी पाई जाती है, तो हम इस निविदा को अस्वीकार/काली सूची में डालने और लागू कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम :

पद :

फर्म का आधिकारिक मुहर

मोबाइल नंबर :

ई-मेल आईडी :

दिनांक :

स्थान :